

स्मार्ट सिटी के मुख्य अंश

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शहरी नवीनीकरण व पुनर्निर्माण उद्देश्य के मद्देनजर शहर के बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने, नागरीकों को गुणवत्ता युक्त जीवन प्रदान करने हेतु आधारित सरंचना के सुधार के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करने हेतु 100 शहरों को चिन्हित करने के लिए शुभारम्भ किया गया। फरीदाबाद शहर फास्ट ट्रेक दौर में 21 मई 2016 को चिन्हित हुआ। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को दो भागों में शामिल किया गया (अ) क्षेत्र के आधार पर विकास (ABD) जिसकी अनुमानित राशि 1916 करोड़ व (ब) पैन सिटी (Pan City) समाधान में अनुमानित राशि 425 करोड़ रुपये रखी गई।

शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) का गठन हरियाणा सरकार द्वारा फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए निम्न प्रकार से किया गया :

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के गठन के साथ निम्न सदस्यों को सम्मिलित किया गया:

1	प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सरकार।	चैयरमेन
2	मिशन निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सरकार।	डायरेक्टर
3	मुख्य प्रशासक, हुडा।	डायरेक्टर
4	भारत सरकार के प्रतिनिधि	डायरेक्टर
5	आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद	डायरेक्टर
6	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.पी.वी	सदस्य सचिव
7	स्वतन्त्र निदेशक (3)	डायरेक्टर

अन्तर- विभागीय सह-समन्वय समिति- विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में अन्तर-विभागीय सह-समन्वय समिति का गठन किया गया है। जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस.पी.वी, सदस्य सचिव हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य इस प्रकार से हैं:- (1) उपायुक्त, फरीदाबाद (2) आयुक्त पुलिस विभाग(3) आयुक्त, नगर निगम(4) प्रशासक, हुडा एवं (5) अन्य विभागों के अधिकारीगण।

एस.पी.वी की परिचालन स्वायत्ता

एस.पी.वी के बोर्ड को परियोजना का निष्पादन संयुक्त उपक्रम, सहाय कम्पनी (JV), पी.पी.पी एवं सहायक कम्पनियां, टर्निकी अनुबंध करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। इसके अतिरिक्त एस.पी.वी को सम्बन्धित प्रयोजना को लागू करने के लिये कई अन्य प्रोजेक्ट्स एस.पी.वी का गठन कर सकती है। एस.पी.वी पैन सिटी एवं ए.बी.डी ऐरिया (PAN City & ABD Area) के सम्बन्धित प्रोजेक्ट्स का निष्पादित करेगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति

फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे जिन्हें सरकार द्वारा शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के अनुमोदन के साथ नियुक्त किया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी होगा और 3 साल की निश्चित अवधि के लिये नियुक्त किया जाएगा और इसे सरकार द्वारा पूर्व में शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की पूर्व अनुमति के साथ ही हटाया जा सकता है।

संगठनात्मक संरचना :- (1) फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड की SPV में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अतिरिक्त महा प्रबंधक (Engineering & Technical) महा प्रबंधक (IT) महा प्रबंधक वित्तिय (Finance) महा प्रबंधक (Legal) और महा प्रबंधक (Planning) की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा की जाएगी।

(2) फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड की SPV में विभिन्न पृष्ठभूमि में समर्पित अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है जो कि एक पेशेवर तरीके से स्मार्ट सिटी प्रयोजना को लागू करने प्रबन्धित करने में सहायता कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रयोजना प्रबन्धन सलाहकार (PMC) की भी SPV द्वारा विभिन्न प्रयोजना के डिजाइन, विकास, प्रबन्धन और कार्यान्वयन के लिये नियुक्त की जायेगी।

शक्तियों का प्रदत्तकरण :- सरकार व नगर निगम फरीदाबाद शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के मिशन स्टेटमेंट व गाईडलाईस के आधार पर प्रदत्त की गई।

फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 20 सितंबर, 2016 को शामिल किया गया था और कंपनी शेयरों द्वारा सीमित है।

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा डिजाइन, विकास, प्रबन्धन और कार्यान्वयन के लिये फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने परियोजना प्रबन्धन सलाहकार (PMC) के चयन के लिये आर.एफ.पी (RFP) तैयार किया। पी.एम.सी के चयन के लिये फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने आर.एफ.पी दस्तावेज, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के विशेषज्ञों की सहायता से तैयार किया। पी.एम.सी के चयन के लिये आर.एफ.पी राज्य सरकार के उच्चस्तरीय संचालन समिति (HPSC) द्वारा 19.12.2016 को हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा स्वीकृत किया गया।

परियोजना प्रबन्धन सलाहकार (PMC) की नियुक्ति के लिये अंतराष्ट्रीय प्रतियोगी निविदा प्रक्रिया अपनाते हुये जनवरी, 2017 में प्रस्ताव अनुरोध जारी किया गया था, हालांकि टैंडर की प्रक्रिया में निगम के चुनाव जिसमें राज्य चुनाव आयोग द्वारा आचार सहिता लागू होने के कारण देरी हो गई थी।

इस प्रक्रिया में नौ राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय निविदाएं प्राप्त हुई थी। इन निविदाओं के मूलयांकन के लिये अलग से कमेटी का गठन किया गया था।

मूल्यांकन समिति (EC) ने संयुक्त रूप से आर.एफ.पी के डाटा शीट में निर्देशित उप-मानदण्ड के अनुसार निविदाओं के तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया। सभी प्रस्तावित सलाहकारी संस्थाओं द्वारा दिनांक 25.03.2017 को प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा व चेयरमैन फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सम्मुख दृष्टिकोण व पद्धति कार्य प्लान व प्रस्तावित टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया।

तकनीकी रूप से योग्य फर्मों की वित्तीय बोलियां खोलने के उपरांत कनाडाई फर्म M/s LEA Associates. South Pvt. Ltd. और कंसार्टियम M/s Wadia Techno- Engineering Services Ltd. और M/s Avineon India Private Limited को पी.एम.सी. के रूप में चयन किया गया जिसकी स्वीकृत माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रदत्त की गई। अनुबन्ध दिनांक 19.05.2017 को किया गया। पी.एम.सी द्वारा दिनांक 22.5.2017 से अपने टीम उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया था। पी.एम.सी द्वारा कार्य की शुरुआत करते हुये कुछ परियोजनाओं का प्रस्ताव अनुरोध जैसे कि E-Toilets, ओपन एयर जिम, ई- रिक्शा स्टैंड, रैन वाटर हारवैस्टिंग, इंटरमीडिएटेड पैरा ट्रांजिट स्टैंड जारी कर दिये गये।

नागरिक सहभागीता:— फरीदाबाद नागरिकों की सेवाओं के लिये प्रतिबद्ध है। स्मार्ट सिटी चैलेंज चरण के दौरान फेसबुक, व्हाट्सएप, पोल्स, MyGov.in पर विचार विमर्श, दृष्टि सर्वेक्षण फार्म प्रतियोगिता से 1.95 लाख प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी। भारत सरकार के प्लेगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत जिसमें स्वच्छ भारत अभियान व विमुद्रीकरण शामिल था, फरीदाबाद शहर इनमें अग्रणीय रहा था।

विकास कार्या की प्रक्रिया परियोजनाओं में शहर द्वारा निम्न प्रयास किये गये:—

- स्लोगन लेखन प्रतियोगिता:—फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड व नगर निगम फरीदाबाद द्वारा संयुक्त रूप से स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया व विजेताओं को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया गया।
- माई गोव प्लेटफार्म के माध्यम से डिजाईन प्रतियोगिता:—राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के माई गोव के पोर्टल पर निम्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई:—
 - 1 बराही तालाब का उन्नयन एवं कायाकल्प करना।
 - 2 बड़खल लेक फ्रन्ट विकास।
 - 3 ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से मैट्रो स्टेशन तक स्मार्ट रोड डिजाईन तैयार करना।

उक्त के विजेताओं को दिनांक 11.02.2017 को फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा आयोजित सूरजकुण्ड क्राफ्ट मेले में सम्मानित किया गया।

मीडिया द्वारा अपनी रिपोर्ट के आधार पर यह प्रदर्शित किया जा रहा है कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा व्यर्थ के खर्चों पर एक बड़ी राशी की अदायगी करते हुये फण्ड का दुरुपयोग किया गया है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है नगर निगम फरीदाबाद को 2.00 करोड़ की राशी शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सन् 2015-16 में अन्य शहरो के साथ भाग लेने के लिये दी गई थी। यह राशी स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तैयार करने के उद्देश्य से नागरिक भागीदारी, शहरवासी की खुद की संकल्पना, दूरदर्षिता के आधार पर

स्थानीय संदर्भ, संसाधन व स्तर व महात्वाकांक्षा के आधार योजना तैयार के लिये दी गई थी।

उक्त 2.00 करोड़ की राशी से नगर निगम फरीदाबाद 185.35 लाख रू० की राशी प्रथम व द्वितीय दौर के प्रारूप प्रस्ताव तैयार करने के लिये खर्च कर दी गई थी। शेष राशी 14.69 लाख रू० फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी के दिनांक 20.09.2016 को अस्तित्व में आने उपरांत ट्रांसफर कर दी गई थी जिसे कि प्रोफेशनल फीस व आफिस के लिये खर्च किया गया है। कम्पनी बनने के पश्चात् फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 184.00 करोड़ की बतौर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के ग्रांट के रूप में प्राप्त हुई है।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि विकास कार्यों पर अभी तक कोई खर्चा नहीं किया गया है। प्रशासनिक खर्च, प्रोफेशन फील व कार्यालय के खर्चों पर 184.00 करोड़ की राशी से केवल 46.53 लाख की राशी खर्च की गई है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी एक्ट के अनुसार कम्पनी की मुख्य कार्यवाही अधिकारी कम्पनी के खाते से वेतन पाने के पात्र है क्योंकि वर्तमान मुख्य कार्यारी अधिकारी के पास फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड का अतिरिक्त कार्यभार है अनः कभी कोई वेतन नहीं दिया गया है।

शहरी विकास मंत्रालय के दिशा निदेश अनुसार फरीदाबाद ही नहीं अपितु परे शहरों में शहर के 3% क्षेत्र आधारित विकास (Area Based development) में शामिल किया गया है। तथा कुल बजट का 75% फण्ड स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कुल बजट का पैन सिटी के लिये निगम द्वारा प्रस्ताव तैयार करते समय जो फण्ड निर्धारित किया गया है, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड फण्ड की कमी के बावजूद व्यापक क्षेत्र को लाभ देने का प्रयास करेगा। फण्ड के रूप में भारत सरकार व राज्य सरकार से 1000.00 करोड़ की प्राप्ति होगी जबकि शेष राशी सार्वजनिक निजी भागीदारी व बोर्ड जारी करने व भूमि मुद्रीकरण से प्राप्त की जायेगी जो कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के लिये कुछ चुनौती पूर्ण है।